23.5.25	पत्रावली न्यायालय जिला जज के निर्देश क्रमांक : 1131/2025 दिनांक 21.5.25 की पालना के क्रम पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। केवल [illegible] प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थनापत्र, धारा [illegible] 212 दाखिल किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible]

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 49/2012

तारीख दायरा 07.06.2012

उनवान

बंशीलाल पुत्र पांचूलाल जाति रेगर निवासी ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां।

– प्रार्थी

बनाम

1. धनराज पुत्र गोपाल जाति बोला निवासी चरेल हाल मुकाम बपावरकलां तहसील सांगोद।
2. मोहनीबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामभरोस जाति बोला निवासी मोईकलां तहसील सांगोद।
3. कन्याबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामप्रसाद जाति बोला निवासी उमरदा तहसील सांगोद।
4. फूलाबाई पुत्री गोपाल पत्नि मदनलाल जाति बोला निवासी बारां तहसील बारां।
5. गुड्डीबाई पुत्री गोपाल पत्नि गोबरीलाल जाति बोला निवासी बम्बोरी, अंता जिला बारां।
6. रामनाराण पुत्र नन्दा जाति बोला निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद।
7. रामप्रताप पुत्र नन्दा जाति बोला निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद।
8. प्रकाशी पुत्री नन्दा पत्नि चौथमल जाति बोला निवासी रायथल तहसील अन्ता।
9. सूरजी पत्नि नन्दा जाति बोला निवासी सांगोद।
10. बाबूलाल पुत्र शंकर जाति बोला निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद।
11. ओमप्रकाश पुत्र शंकर जाति बोला निवासी अन्ता जिला बारां।
12. पंसूरी पुत्री शंकर पत्नि दुर्गाशंकर जाति बोला निवासी अन्ता जिला बारां।
13. भैरूलाल पुत्र भीमा जाति बोला निवासी इन्द्रा कोलोनी बपावरकलां तहसील सांगोद।
14. रूपचन्द पुत्र भीमा जाति बोला निवासी इन्द्रा कोलोनी बपावरकलां तहसील सांगोद।

– अप्रार्थीगण

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील प्रार्थी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 5 के पिता गोपाल, अप्रार्थीगण 6 ता 9 के पिता नन्दा, अप्रार्थीगण 10 ता 12 के पिता शंकर, अप्रार्थीगण 13, 14, कंवरी बेवा भीमा के सम्मिलित खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम चरेल तहसील सांगोद में निम्न विवरण की आराजी स्थित है जिसकी जमाबंदी संवत 2053 से 2056 वाद पत्र के साथ संलग्न है –

खाता सं.	ग्राम	ख.न.	रकबा
नई 4, पुरानी 57	चरेल	67	7 बीघा 7 बिस्वा
		72	5 बीघा 4 बिस्वा
		74	8 बीघा 12 बिस्वा
		116	13 बिस्वा
		297	4 बीघा 11 बिस्वा
		322	10 बीघा 12 बिस्वा
		कुल 6 किता की	36 बीघा 19 बिस्वा भूमि

- उक्त वर्णित आराजी का सेटलमेन्ट हो जाने से वाद पत्र में वर्णित आराजीयात निम्नानुसार अंकित हुई जिसकी नकल जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है –

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम	ख.न.	रकबा हैक्टर
चरेल	79	0.24
	80	0.30
	92	0.30
	113	1.19
	121	0.75
	122	0.64
	285	0.10
	496	0.74
	876/295	1.72

कुल 9 किता की 5.98 हैक्टर भूमि

- उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारान के बीच आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हो जाने से उक्त आराजीयात में से खातेदार रामप्रताप पुत्र नन्दा ने विवादित आराजी में निहित उनका संपूर्ण हिस्सा 1/20 पचास हजार रूपये में प्रार्थी को विक्रय कर दिनांक 25.05.2006 को विक्रय विलेख का पंजीयन भी प्रार्थी के पक्ष में करवा दिया था तथा प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजी में से ख.न. 92 की 0.30 है. आराजी पर मौके पर कब्जा भी संभला दिया था तथा प्रार्थी उक्त खरीद से ही ख.न. 92 की 0.30 है. आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।
- प्रार्थी द्वारा खातेदार रामप्रताप से उसके हिस्से की आराजी क्रय करने के उपरान्त उक्त आराजी को प्रार्थी के खाते दर्ज कराने के लिये असल दस्तावेज विक्रय विलेख भी हलका पटवारी को दे दिया था किन्तु प्रार्थी के सरकारी सेवा में होने से असल दस्तावेज विक्रय विलेख हलका पटवारी को देने के बाद संपर्क नहीं हो पाने से प्रार्थी द्वारा क्रय की गई आराजी में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए उक्त विक्रय विलेख की नकल वाद के साथ प्रस्तुत की गई है।
- विवादित आराजी में से खातेदार रामप्रताप द्वारा उसके हिस्से की आराजी बेचने के बावजूद भी खातेदार रामप्रताप ने बदनियति पूर्वक विवादित आराजीयात का आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन नामान्तरण सं 26 से कर लिया जो निम्न प्रकार है –

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार	ख.न.	रकबा
खातेदार रामनारायण, रामप्रमाप, सूरजी, प्रकाशी, देव	72	2 बीघा 4 बिस्वा दक्षिणी
	322	5 बीघा 6 बिस्वा पश्चिमी
	2 किता की 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि	

खातेदार	ख.न.	रकबा
खातेदार बाबूलाल, ओमप्रकाश, पंसूरी, रतनबाई	74	8 बीघा 12 बिस्वा
	287	4 बीघा 11 बिस्वा
	2 किता की 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि	

खातेदार	ख.न.	रकबा
खातेदार भैरूलाल, रूपचन्द, कंवरी बेवा भीमा	67	7 बीघा 7 बिस्वा
	1 किता की 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि	

खातेदार	ख.न.	रकबा
खातेदार गोपाल	72	3 बीघा उत्तरी
	322	5 बीघा 6 बिस्वा पूर्वी
	2 किता की 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि	

- ख.न. 116 की 13 बिस्वा आराजी रामनारायण, रामप्रताप पुत्रान नन्दा, प्रकाशी, सूरजी पुत्रीयां नन्दा, देव बेवा नन्दा हिस्सा 1/4, बाबूलाल, ओमप्रकाश पुत्रान शंकर, पंसूरी पुत्री शंकर, रतन बेवा शंकर हिस्सा 1/4, भैरूलाल, रूपचंद पुत्रान भीमा, कंवरी बेवा भीमा हिस्सा 1/4, गोपाल पुत्र पन्ना हिस्सा 1/4 सम्मिलित रूप से दर्ज हुई।
- प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर सेटलमेन्ट हो जाने से खातेदारान के बीच हुये विभाजन के अनुसार खातेदारान के नाम दर्ज हुई आराजी का विवरण निम्न है –

1. खातेदार बाबूलाल, ओमप्रकाश, पंसूरी, रतन पिसरान शंकर के नाम दर्ज आराजी –

खाता सं.	ग्राम	ख.न.	रकबा
नई 87,	चरेल	122	0.42 है.
पुरानी 88		496	0.74 है.
		2 किता की 1.16 है. आराजी	

Scanned with OKEN Scanner

2. खातेदार गोपाल पुत्र पन्ना के नाम दर्ज आराजी –

खाता सं.	ग्राम	ख.न.	रकबा
नई 29, पुरानी 27	चरेल	80/1	0.17 है.
		92	0.30 है.
		876/1	0.86 है.

3 किता की 1.33 है. आराजी

3. खातेदार रूपचन्द, भैरूलाल, कंवरी पिसरान भीमा के नाम दर्ज आराजी –

खाता सं.	ग्राम	ख.न.	रकबा
नई 102, पुरानी 102	चरेल	113	1.19 है.

1 किता की 1.19 है. आराजी

4. खातेदार रामनारायण, रामप्रताप, प्रकाशी, सूरजी, देवबाई पिसरान नन्दा के नाम दर्ज आराजी –

खाता सं.	ग्राम	ख.न.	रकबा
नई 134, पुरानी 129	चरेल	79	0.24 है.
		80	0.13 है.
		876/895	0.86 है.

3 किता की 1.23 है. आराजी

- उपरोक्त खातेदारान में से देवबाई फौत हो जाने से देवबाई का नाम खारिज हुआ तथा उपरोक्त आराजी का भी खातेदार के बीच विभाजन हो जाने से खातेदार रामनारायण पुत्र नन्दा, प्रकाशी पुत्री नन्दा के हिस्से में ख.न. 876/895 की पश्चिमी तरफ की 0.61 है., रामप्रताप पुत्र नन्दा, सूरजी पुत्री नन्दा के सम्मिलित हिस्से की ख.न. 79 की 0.24 है., ख.न. 80 की 0.13 है., ख.न. 876/895 की पूर्वी तरफ की 0.25 है. कुल 3 किता की कुल 0.62 है. आराजी दर्ज हुई।
- उक्त वर्णित आराजी के खातेदारान में से रामप्रताप ने उसके 1/20 संपूर्ण हिससे की आराजी को विक्रय करने के बावजूद भी उक्त आराजीयात में विभाजन कराकर खाते दर्ज करवा लिया है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात में से खातेदार रामप्रताप द्वारा संपूर्ण हिस्सा प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान कर कब्जा प्रार्थी को दिया

Scanned with OKEN Scanner

जा चुका है तथा प्रार्थी आज भी विवादित आराजीयात में से ख.न. 92 की 0.30 है. आराजी को काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि प्रार्थी द्वारा रामप्रताप के हिस्से की 1/20 क्रय की गई, कब्जे की आराजी ख.न. 92 की 0.30 है. को अप्रार्थीगण किसी प्रकार रहन, बैय, खुर्दबुर्द, करने का प्रयास नहीं करें। उक्त आराजी में प्रार्थी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्टों आदि से करावें।
- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 14 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से एकतरफार कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
- हमारे द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवष्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई भी साक्ष्य, गवाह, सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध हो सके कि विक्रेता रामप्रताप द्वारा प्रार्थी को ख.न. 92 की 0.30 है. भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया हो। उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में से ख.न. 92 की 0.30 है. भूमि पर स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है, परन्तु इस बाबत कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे सिद्ध हो सके कि वह विवादित आराजी के किस ख.न. पर और कितने रकबे पर काबिज काश्त है। कब्जे का निर्धारण मूल वाद में मौका रिपोर्ट, साक्ष्य आदि लिया जाकर ही संभव है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रामप्रताप से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25.05.2006 के माध्यम से क्रय करना व्यक्त किया गया है। बेचान के लगभग 20 वर्ष गुजरने के उपरान्त भी विक्रय कर्ता द्वारा नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर आराजी को अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तांतरित नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे हों। ऐसी स्थित में प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

Scanned with OKEN Scanner

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner